न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 4/15 अन्तर्गत धारा 75 एल0 आर0 एक्ट

उनवान :– 1. बलवन्तराय पुत्र भगवान दास जाति महाजन निवासी ई–75–76, रोहिणी, दिल्ली हाल निवासी हनुमान कोटेक्स, ग्राम चामरोदा, तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान

:----- अपीलांट

बनाम

1 राजस्व लेखा उपखंड कार्यालय किशनगढबास द्वारा निरीक्षक, राजस्व लेखा मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ।

2 राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, अलवर ।

3 तहसीलदार, किशनगढबास

4 जिला राजस्व लेखा उपखंड कार्यालय किशनगढबास (अलवर)

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखंड अधिकारी,किशनगढबास दिनांक 29.10.2014

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– सर्वश्री हेमराज गुप्ता, राकेश गुप्ता

2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 15.10.2018

---

1 प्रस्तुत अपील कार्यालय उपखंड अधिकारी, किशनगढबास द्वारा पारित आज्ञा कमांक:– राजस्व/14/1180–81 दिनांक 29.10.14 के खिलाफ है, जिसके द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपीलांट को यह आज्ञा प्रसारित की गई थी कि श्रीमान निरीक्षक राजस्व लेखा मुख्याल, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपनी निरीक्षक प्रतिवेदन 11/13 के आक्षेप संख्या 1 में संपरिवर्तन शुल्क राशि 225836 रूप्ये कम जमा होने का आक्षेप किया है । उक्त प्रकरण में आप द्वारा आराजी खसरा नम्बर 930 में 8600 वर्गमीटर वाके ग्राम चामरोदा तहसील किशनगढबास में औधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराया था । अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक 5.12.14 तक उक्त राशि जमा करावें । उपखंड अधिकारी किशनगढबास की उक्त आज्ञा से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

2 दिनांक 4.3.2016 को विद्वान राजकीय अभिभाषक ने यह ऐतराज उठाया कि यह अपील मैनेटेनेबल नहीं है । सर्वप्रथम मेनेटेनबल के बिन्दू पर बहस सुनी जावे । विद्वान राजकीय अभिभाषक के ऐतराज के सन्दर्भ में मैनेटेनेबिल के बिन्दू पर उभयपक्ष को सुना ।

3 विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि यह अपील ऑडिट पार्टी द्वारा निकाली राशि के सम्बन्ध में है, जिसे ये सक्षम अधिकारी के आदेश नहीं कहे जा सकते । इसलिये यह अपील मैनेटेनबिल नहीं है ।

4 जवाब में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा उपखंड अधिकारी द्वारा पारित की गई है । उपखंड अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेशों की अपील राजस्व अपील अधिकारी को होती है । इसलिये मौजूदा अपील अदालत श्रीमान में चलने योग्य है ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपीलांट ने औधोगिक प्रयोजनार्थ अपनी आराजी का संपरिवर्तन कराया था । तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निरीक्षण दल ने निरीक्षण दिनांक 28 व 29.11.2013 में अपीलांट के खिलाफ ऑडिट पैरा बनाकर संपरिवर्तन की बकाया राशि रूपये 225836/– निकाली । इस राशि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

Scanned by CamScanner

की वसूली करने हेतु उपखंड अधिकारी ने आलोच्य आज्ञा द्वारा अपीलांट को पत्र लिखा ।

6 प्रकरण का अध्ययन करने पर सिद्ध होता है कि उपखंड अधिकारी ने अपने स्तर से किसी प्रकार का कोई न्यायिक आदेश पारित नहीं किया है । उन्होंने तो मात्र माननीय राजस्व मण्डल के ऑडिट पार्टी द्वारा जो रिकवरी की राशि निकाली थी, उसकी वसूली हेतु अपीलांट को पत्र लिखा है । यह पत्र किसी प्रकार की न्यायिक आज्ञा की श्रेणी में नहीं आता है । आलोच्य आदेश न्यायिक आदेश की श्रेणी में नहीं आने के कारण यह अपील मैनटेनेबिल नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि अपील मैनटेनेबिल नहीं होने के कारण खारिज की जाती है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner